राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.7(51) परि/नियम/मु./2010/ 17866 जयपुर,दिनांकः 30/08/18

कार्यालय आदेश......24....../2018

राज्य में संचालित चालक प्रशिक्षण संस्थानों की कार्य प्रणाली को विनियमित व विनियंत्रित करने की दृष्टि से विभाग द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 11/2018 के माध्यम से मोटर ड्राईविंग स्कूल विनियमन एवं विनियंत्रण स्कीम ''एम.डी.एस.आर–2018'' लागू की गई थी। इस स्कीम के कुछ प्रावधानों की पालना में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों एवं समस्याओ को दूर करने हेतु कार्यालय आदेश संख्या 11/2018 दिनांक 12.04.2018 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैः–

(1) कार्यालय आदेश संख्या 11/2018 के बिन्दु संख्या 8(1) का संशोधनः–

''(1) मोटर ड्राईविंग स्कूल के संचालक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी, किन्तु ऐसे मोटर ड्राईविंग स्कूल जो इस स्कीम के प्रभावी होने से पूर्व में स्थापित एवं संचालित है, के संचालको पर यह शर्त लागू नहीं होगी।''

(2)कार्यालय आदेश संख्या 11/2018 के बिन्दु संख्या 8 (3)का संशोधनः–

''(3) मोटर ड्राईविंग स्कूल में प्रशिक्षण हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले हल्के मोटर वाहनो के पार्किंग स्थल की दूरी स्कूल परिसर से एक किलोमीटर से अधिक की दूरी पर नहीं होगी किन्तु भारी परिवहन यानों के प्रशिक्षण हेतु अधिकृत मोटर ड्राईविंग स्कूल में प्रयुक्त भारी वाहनों हेतु यह दूरी पांच किलोमीटर से अधिक नहीं होगी।''

(3)कार्यालय आदेश संख्या 11/2018 के बिन्दु संख्या 3(vii) में उल्लेखित 'परिशिष्ट–1' जिसमें मोटर ड्राईविंग स्कूल के संबंध में न्यूनतम कक्षों की संख्या एवं इनके क्षेत्रफल का निर्धारण किया गया है, का संशोधनः–

(1) स्वागत कक्ष कम कार्यालय कक्ष जिसमें इंटरनेट कनेक्शन, कम्प्यूटर मय प्रिन्टर इत्यादि।	इस हेतु अपेक्षित पर्याप्त क्षेत्रफल
(2) मोटर ड्राईविंग स्कूल हेतु न्यूनतम कक्षों के क्षेत्रफल एवं कम से कम कुल क्षेत्रफल में	नीति में निर्धारित सीमा में 10% तक की शिथिलता दी जा सकेगी।

(शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांक : प 7(51) परि/नियम/मु./2010/17867-872 जयपुर, दिनांक 30/08/18

प्रतिलिपिः

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
4. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
5. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट अपडेट करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)